

परिवार में वृद्ध व्यक्ति एवं सामाजिक सम्बन्धों के बदलते प्रतिमान

सारांश

परिवार की संरचना एवं प्रकार्यों में निरंतर परिवर्तन होता रहा है। संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में परिवर्तित हो चुके हैं। संयुक्त परिवार के प्रकार्य आज के एकाकी परिवार में विद्यमान नहीं है। भोगवादिता व व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति जैसी मानसिकता जोर पकड़ने लगी है तथा वृद्ध जनों की आधारभूत आवश्यकताओं को भी नजर अंदाज किया जा रहा है। परिवार के सदस्यों के मध्य सम्बन्धों का आधार भावनात्मक न होकर व्यक्तिगत स्वार्थों पर आधारित हो गया है। परिवार में अब कमाऊ सदस्य का महत्व बढ़ रहा है। नगर, ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्र के कई वृद्ध एकाकीपन का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आधुनिक पीढ़ी को दोषी ठहराना उचित नहीं है क्योंकि आज के सामाजिक परिवेश में जीवन की लागत बढ़ गई है तथा पुत्र व पुत्रवधू का बेहतर रोजगार व शिक्षा के लिए अन्य नगर व कस्बे में चले जाना स्वाभाविक भी माना जा रहा है। समायोजन न करने की वृद्ध व्यक्तियों की आदत भी कुछ हद तक उनके एकाकीपन एवं बच्चों द्वारा उपेक्षा के लिए जिम्मेदार है। वृद्ध व्यक्ति की मूल समस्या वृद्धावस्था यानि शारीरिक समस्या ही नहीं है वरन इसके अतिरिक्त यह आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पक्षों से भी जुड़ी है। पहले परिवार इस सन्दर्भों में सुरक्षा प्रदान करते थे लेकिन आज के छोटे परिवार इस सन्दर्भ में सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। उक्त सन्दर्भ में वैयक्तिक अध्ययनों से भी स्पष्ट है कि वृद्ध मानसिक व शारीरिकीय दुर्व्यवहार व दयनीय जीवन व्यतीत करने के लिये बाध्य होते जा रहे हैं।

मुख्य शब्द : परिवारिक संरचना एवं प्रकार्य, संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार।

प्रस्तावना

परिवार की संरचना एवं प्रकार्यों में निरंतर परिवर्तन होता रहा है। संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में परिवर्तित हो चुके हैं। संयुक्त परिवार के प्रकार्य आज के एकाकी परिवार में विद्यमान नहीं है। बच्चों एवं वरिष्ठ सदस्यों की देखभाल व पालन-पोषण पहले संयुक्त परिवार में स्वतः हो जाता था। यह परिवार का उत्तरदायित्व था। प्राथमिक तथ्यों से स्पष्ट हो चुका है कि वर्तमान में वरिष्ठ सदस्यों की देखभाल करना एक समस्या बन चुका है। आज के परिवार इसे अपना उत्तरदायित्व नहीं मानते हैं। वृद्ध व्यक्ति की मूल समस्या वृद्धावस्था यानि शारीरिक समस्या ही नहीं है वरन इसके अतिरिक्त यह आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पक्षों से भी जुड़ी है। पहले परिवार इस सन्दर्भों में सुरक्षा प्रदान करते थे लेकिन आज के छोटे परिवार इस सन्दर्भ में सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। उक्त सन्दर्भ में वैयक्तिक अध्ययनों से भी स्पष्ट है कि वृद्ध मानसिक व शारीरिकीय दुर्व्यवहार व दयनीय जीवन व्यतीत करने के लिये बाध्य होते जा रहे हैं। भोगवादिता व व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति जैसी मानसिकता जोर पकड़ने लगी है तथा वृद्ध जनों की आधारभूत आवश्यकताओं को भी नजर अंदाज किया जा रहा है। परिवार के सदस्यों के मध्य सम्बन्धों का आधार भावनात्मक न होकर व्यक्तिगत स्वार्थों पर आधारित हो गया है। युवाओं के स्वच्छन्द रहने की आशा के कारण वृद्ध व्यक्ति को परिवार के मुखिया के पद से वंचित कर दिया गया है, फलस्वरूप वृद्ध व्यक्ति अपमानित एवं उपेक्षित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परिवार में अब कमाऊ सदस्य का महत्व बढ़ रहा है। वर्तमान में युवक व युवती दोनों आय अर्जन का कार्य करते हैं तथा जीवन को अपने तरीके से व्यतीत कर रहे हैं, जिसमें वृद्ध व्यक्तियों का कोई स्थान नहीं है। नगर, ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्र के कई वृद्ध एकाकीपन का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आधुनिक पीढ़ी को दोषी ठहराना उचित नहीं है क्योंकि आज के सामाजिक परिवेश में जीवन की लागत बढ़ गई है तथा पुत्र व पुत्रवधू का बेहतर रोजगार व शिक्षा के लिए अन्य



नवल सिंह राजपूत

सहायक आचार्य,

उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल

वर्क,

जनार्दनराय नागर राजस्थान

विद्यापीठ विश्वविद्यालय,

उदयपुर

नगर व कस्बे में चले जाना स्वाभाविक भी माना जा रहा है। समायोजन न करने की वृद्ध व्यक्तियों की आदत भी कुछ हद तक उनके एकाकीपन एवं बच्चों द्वारा उपेक्षा के लिए जिम्मेदार है। अतः इस समस्या की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर अध्ययन किया है।

साहित्यावलोकन

भारत में परिवार की संरचना में हो रहे परिवर्तनों का अध्ययन करने वाले प्रसिद्ध विद्वानों में आई. पी. देसाई, के. एस. कापड़िया, ऐलेन रॉस, एम. एस. गोरे, ए. एस. शाह और सच्चिदानन्द आदि के अध्ययन महत्वपूर्ण हैं। देसाई ने बताया है कि नगरीय परिवारों में एकाकिता बढ़ रही है और संयुक्तता घट रही है, परिवार में व्यक्तिवाद की भावना पनप नहीं रही है क्योंकि परिवार आवासीय व संगठनात्मक रूप से एकाकी है तथा संयुक्तता के घेरे में नातेदारी सम्बन्धों की परिधि छोटी होती जा रही है। दूसरी ओर कापड़िया के अनुसार ग्रामीण व नगरीय परिवारों के स्वरूप में अन्तर जाति प्रथा व आर्थिक कारकों के कारण हो रहे हैं। रॉस कहती हैं कि भारत में परिवार की प्रवृत्ति परम्परागत संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार की ओर है। वर्तमान पीढ़ी के लिए दूर के रिश्तेदार कम महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, वे उनसे मिलने भी कम जाते हैं, उनके लिए स्नेह भी कम है और उनके प्रति उनका उत्तरदायित्व भी कम समझते हैं। नगर में रहने वाला पुत्र अपने सभी सम्बन्धियों से काफी दूर हो गया है। घर में आगन्तुकों का, बड़े संयुक्त परिवारों की अपेक्षा कम स्वागत होता है। सुधीर राजाराम देवरे का मानना है कि देसाई कापड़िया, रॉस, शाह, गोरे आदि क सभी के अध्ययनों से सार निकलता है कि विखण्डित परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है अर्थात् पुत्र अपने माता-पिता से अलग रहना पसंद करते हैं, लेकिन उनके प्रति परम्परागत दायित्वों का निर्वाह करना जारी रखते हैं, परम्परागत समुदायों में संयुक्तता अधिक है, परम्परागत परिवारों का आकार छोटा हो गया है तथा हमारे समाज में संयुक्त परिवार तब तक बना रहेगा जब तक इसे एक सांस्कृतिक आदर्श माना जाता रहेगा।

अध्ययन के उद्देश्य

अनुसन्धान अध्ययन का मुख्य उद्देश्य नगरीय, ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्र में रहने वाले वृद्धों व उनके परिवार के सदस्यों के बीच सम्बन्धों में हो रहे परिवर्तनों व उससे उत्पन्न नयी समस्याओं से सम्बन्धित तथ्यों को वैयक्तिक अध्ययनों (case studies) द्वारा संकलित एवं विप्लेषित करना है।

अध्ययन निदर्शन

नगरीय, ग्रामीण व जनजातीय तीनों क्षेत्रों से वैयक्तिक इकाइयों (उत्तरदाताओं) का चयन उद्देश्यात्मक निदर्शन विधि द्वारा किया गया है। वैयक्तिक अध्ययन विधि द्वारा गहन सूचनाएँ एकत्रित की गई हैं। अध्ययन को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र से एक मध्यम व एक निम्न वर्ग से संबंधित वृद्ध व्यक्ति को वैयक्तिक अध्ययन की ईकाई के रूप में चयन किया गया। इसप्रकार कुल 6 वृद्ध व्यक्तियों का वैयक्तिक अध्ययन के रूप में अध्ययन किया गया है :

वैयक्तिक अध्ययन (Case Study-1)

(नगरीय मध्यम वर्ग)

चन्दा कुमावत (67 वर्ष) वृद्ध विधवा हैं। पति की 17 वर्ष पूर्व मृत्यु पांच सन्तानों जिसमें से दो पुत्र व तीन पुत्रियाँ हैं। सभी सन्तानों का विवाह हो गया है। 17 वर्ष पूर्व पति की मृत्यु हो गयी थी। पति की मृत्यु के पश्चात् सम्पत्ति का विभाजन किया गया तथा बड़ा पुत्र परिवार से अलग रहने लगा। छोटा पुत्र व पुत्रवधू दोनों घर की सारी जिम्मेदारी सौंपकर नौकरी चले जाते हैं। सम्पूर्ण परिवार के लिये भोजन बनाने के साथ-साथ पोते-पोती की भी देखभाल करनी पड़ती है। पुत्रवधू के साथ अक्सर तनाव की स्थिति बनी रहती है। तनाव अधिक होने पर बड़े पुत्र के घर चले जाने को कहा जाता है। बड़े पुत्र के यहां जाती है तो वहां से भी प्रताड़ित कर निकाल दिया जाता है। उम्र के इस अन्तिम पड़ाव में वृद्धा दोनों परिवार से मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान है। दोनों पुत्रों की भी आपस में नहीं बनती है। पैतृक मकान जिसमें छोटे पुत्र व पुत्रवधु रह रहे हैं, उसके मूल दस्तावेज बड़े पुत्र के कब्जे में है। छोटा पुत्र व पुत्रवधू द्वारा अक्सर वृद्धा पर मूल दस्तावेज लाने का दबाव डाला जाता है। जबकि वृद्धा की बात को दोनों ही पुत्र महत्व नहीं देते हैं। उपरोक्त वैयक्तिक अध्ययन से स्पष्ट है कि सामाजिक सम्बन्धों के बदलते स्वरूप के कारण वृद्धों की समस्याओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है। चन्दा कुमावत के दो पुत्र होने पर भी अपने आपको अकेला व उपेक्षित अनुभव कर रही है। पुत्रों के आपसी मतभेदों व संघर्ष की भावना के कारण वृद्धा को दोनों परिवारों से उपेक्षित होना पड़ता है। दोनों परिवारों के मध्य सम्पत्ति का मुद्दा कटूता का कारण बन गया है, लेकिन इस कटूता व संघर्ष का कारण वृद्धा को ठहराया जा रहा है। वृद्धा अपने दोनों पुत्रों के साथ समान व्यवहार रखना चाहती है जबकि दोनों परिवारों द्वारा वृद्धा को विरोधी पक्ष का समझा जाता है। इसप्रकार दोनों परिवार द्वारा अविश्वास करने के कारण वृद्धा अपने आपको अकेला अनुभव कर रही है तथा परिवारों के संघर्ष का सबसे अधिक नुकसान वृद्धा को उठाना पड़ रहा है। इस वैयक्तिक अध्ययन से स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से सक्षम होने पर भी कई वृद्धों को कष्टसाध्य जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

वैयक्तिक अध्ययन (Case Study-2)

(नगरीय निम्न वर्ग)

धूला गमेती (75 वर्ष) वृद्ध विधुर हैं। नेत्रहीन पत्नी की दो वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है। वृद्ध व्यक्ति अपने एकमात्र पुत्र के साथ उदयपुर में भीलू राणा बस्ती का निवासी है तथा उसके पुत्र गेहरीलाल के चार सन्तानें (तीन पुत्रियाँ व एक पुत्र) हैं व पत्नी के साथ रहता है। परिवार में वृद्ध का देखभालकर्ता अन्य कोई नहीं है। दो वर्ष पूर्व पत्नी की मृत्यु हो गई थी। पत्नी नेत्रहीन थी तथा पेंशन मिलती थी। जब तक पेंशन मिलती रही, तब तक पुत्र ने अपने पिता को अपने साथ रखा। माँ की मृत्यु के पश्चात् पुत्र ने पिता को अपने साथ रखने से मना कर दिया। इसके बाद वृद्ध का साला अपने साथ रखने लगा। एक दिन धूला गमेती को उसके साला ने पुत्र के घर छोड़ने गया तो पुत्र ने उसके चचेरे भाई हीरा के साथ

मिलकर अपने पिता धूला गमेती की पिटाई कर दी। घायल धूला गमेती को अचेतावस्था में चिकित्सालय लाकर भर्ती कराया गया। जहां पर दूसरे मरीजों के परिजनों द्वारा भोजन की व्यवस्था की गई। चिकित्सालय से घर पर आने के बाद धूला गमेती की दशा अधिक दयनीय हो गई तथा पुत्र के पास रहना मजबूरी बन गई हैं। पुत्र व उसकी पत्नी का व्यवहार अच्छा नहीं है। इसप्रकार धूला गमेती नरकीय व पशुतुल्य जीवन जीने के लिये मजबूर है। अतः स्पष्ट है कि परिवार और वृद्ध व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना उसके अपने परिवार के सदस्य (पुत्र व पुत्रवधु) भी करने से नहीं चुकते हैं। आर्थिक या सम्पत्ति के अभाव में वृद्ध व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना (सभी वर्गों में) करना पड़ता है।

वैयक्तिक अध्ययन (Case Study-3)

(ग्रामीण मध्यम वर्ग)

केरींग लाल (63 वर्ष) वृद्ध हैं। परिवार में पत्नी व तीन सन्तान (पुत्र) हैं, जिसमें से दो बड़े पुत्र का विवाह हो चुका है। तीसरा पुत्र मानसिक रूप से अस्वस्थ है। 8 वर्ष पूर्व बड़े पुत्र की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसके एक वर्ष पश्चात् मंझले पुत्र की भी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी। दोनों मृत पुत्रों के परिवार के पालन-पोषण व विवाह की जिम्मेदारी केरींग लाल पर आ गयी है। केरींग लाल का परिवार 10 वर्ष पूर्व तक एक सुखी परिवार के रूप में था। प्रकृति के इस कठोर व दोहरे वज्रपात के कारण केरींग लाल की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। उम्र के इस अंतिम पड़ाव में जहां वृद्ध अपनी जिम्मेदारी से निवृत्त होकर धार्मिक क्रियाकलापों में अपना मानसिक सुख ढूंढता है, आज वहीं केरींग लाल पर सम्पूर्ण परिवार की जिम्मेदारी आ गयी है, जिसमें अपने पोते-पोती की पालन-पोषण, शिक्षा व विवाह आदि प्रमुख है। साथ ही अपने तीसरे पुत्र की भी जिम्मेदारी भी उसी पर है क्योंकि वह मानसिक रोगी है। केरींग लाल से परिवार से सम्बन्धित जानकारी पूछने पर उसके मानसिक स्थिति का पता उसके शारीरिक भावों से ही लगाया जा सकता है। आँख में आँसुओं के साथ ही चेहरे पर क्रोध व मजबूरी साफ़ दिखाई देती है। केरींग लाल जीवन के इस अन्तिम पड़ाव में भी संघर्ष करने को मजबूर है, जबकि वह स्वयं जानता है कि उसके वश में कुछ नहीं है। माता-पिता अपनी संतानों को अपने भविष्य के रूप में देखते हैं अर्थात् बुढ़ापे में श्रवण पुत्र के रूप में अपनी संतान को देखते हैं। लेकिन केरींग लाल के जीवन इतिहास को देखे तो उम्र के अंतिम पड़ाव में भी संघर्ष करने को मजबूर है। परिवार में तीन पुत्रों के होने पर भी समय व परिस्थिति ने उसे अकेला कर दिया है। दो पुत्रों की आकस्मिक मृत्यु तथा परिवार की सम्पूर्ण जिम्मेदारी उसके कमजोर कंधों पर आने के कारण मानसिक रूप से परेशान है। उस पर तीसरे पुत्र के पालन-पोषण की भी जिम्मेदारी है। केरींग लाल से बातचित करते समय उसके हाव-भाव देखकर ही समस्या की गंभीरता को आसानी से समझा जा सकता है। मानसिक रूप से इतना परेशान है कि रात को निंद तक नहीं आती है तथा शरीर कमजोर

होता जा रहा है। जीवन के इस अंतिम पड़ाव में भी जिम्मेदारियों के बोझ को ढोने को मजबूर है तथा अपनी कमजोर शारीरिक व मानसिक स्थिति में भी परिवार के भरण-पोषण के लिए कठोर मेहनत करनी पड़ रही है। इसप्रकार समाज में केरींग लाल जैसे कई वृद्ध मिल जाएंगे जो जीवन में संघर्षरत है।

वैयक्तिक अध्ययन (Case Study-4)

(ग्रामीण निम्न वर्ग)

केरींग लाल (72 वर्ष) वृद्ध विधुर हैं। पत्नी की 12 वर्ष पूर्व मृत्यु, एक ही सन्तान की शादी करवा दी गई तथा अपने ससुराल में रहती है। परिवार में ओर कोई सदस्य नहीं है। परिवार में कोई देखभालकर्ता नहीं होने के कारण स्वास्थ्य खराब होने पर भी पेट भरने के लिये स्वयं बकरी चराता है। घर की साफ-सफाई स्वयं करता है। रोजाना रोटी बनाने के लिये देशी चक्की (गट्टी) से आटा स्वयं पीसता है। जबकि देशी चक्की को चलाने में अत्यधिक शारीरिक श्रम करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पांच-छः बकरियों से अपना गुजारा चलाना पड़ता है तथा आवास के नाम पर कच्चा घर है। इस उम्र में वृद्ध व्यक्ति सभी कार्यों व जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं तथा परिवार के वरिष्ठ सदस्य के नाते उनकी सेवा की जाती है। वही चैनलाल जैसे वृद्ध भी हैं, जो अपने काँपते हाथों व कमजोर शारीरिक अवस्था होने पर भी देशी चक्की (गट्टी) चलाने को मजबूर है तथा अधिक स्वास्थ्य खराब होने पर भूखा ही सोना पड़ता है। भारतीय समाज में वृद्धों की देखभाल का उत्तरदायित्व परिवार को सौंपा गया है। यही कारण है कि अभी तक वृद्ध व्यक्तियों के लिए सरकारी प्रयास सीमित है तथा सरकार वृद्धों के देखरेख की आंशिक जिम्मेदारी अपनी मानती है। वृद्धों के लिए सामाजिक सुरक्षा से संबंधित अधिकांश योजनाएं व कानून पहुँच से बाहर हैं। चैन लाल रावत के जीवन इतिहास से स्पष्ट है कि 72 वर्ष की उम्र में भी अपने पेट भरने के लिए स्वयं देशी चक्की चलानी पड़ती है तथा आमदनी के नाम पर केवल बकरी पालन है। परिवार में कोई भी देखभालकर्ता नहीं होने के कारण अस्वस्थता की स्थिति में भी कार्य करना पड़ता है तथा अधिक स्वास्थ्य खराब होने पर बकरी के दूध पीकर गुजारा करना पड़ता है। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण अपना उपचार भी ढंग से नहीं करा पाता है। अशिक्षा व जागरूकता के अभाव के कारण चैन लाल को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रही है।

उपरोक्त वैयक्तिक अध्ययन व प्रस्तुत शोध से सत्यापित होता है कि वृद्धों के लिये सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों व कानून से सम्बन्धित जानकारी का फायदा अधिकांश नगरीय व शिक्षित वृद्ध व्यक्ति ही उठा रहे हैं।

वैयक्तिक अध्ययन (Case Study-5)

(जनजातीय मध्यम वर्ग)

दाड़मी बाई (64 वर्ष) परित्यक्ता वृद्धा हैं। स्वयं के परिवार ने उसे त्याग दिया है। एक विवाहित पुत्र है जिसकी 3 सन्ताने हैं। मानसिक रूप से पूर्ण विक्षिप्त होने के कारण पति ने भी त्याग दिया है। पिछले चालीस वर्ष से अपने पीहर में रह रही हैं। दाड़मी बाई का विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। विवाह के आठ वर्ष पश्चात्

मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गयी थी तथा गांव के कुछ लोगों को पत्थर से घायल कर दिया। तभी से उसे बेड़ियों से बांधकर रखा गया। कुछ समय पश्चात् पति ने भी उसे त्याग दिया तथा पीहर वाले उसे अपने घर में ले आये। स्थानीय देवी देवताओं, भोपो से भी उपचार किया गया, लेकिन असफलता हाथ लगी। दाड़मी बाई कई बार घर से भागने में सफल हो गयी, लेकिन गांव वालों पर पत्थर फेंकने जैसी घटना के कारण अब उसे कोठरी में बेड़ियों से बांधकर रखा जाता है। कोठरी में ही उसे भोजन-पानी दे दिया जाता है। लम्बे समय से बेड़ियों से बन्धे होने के कारण पैरों में घाव बन गये हैं। कोठरी की स्थिति अत्यन्त खराब है, जिसमें रोशनी व हवा की उचित व्यवस्था नहीं है। साफ-सफाई के अभाव में गन्दगी व मक्खियाँ सदैव बनी रहती हैं। भाई व भतीजे के द्वारा देखभाल की जा रही है। वृद्धों की स्थिति जानने के लिए जनजातीय क्षेत्र के मध्यम वर्ग में भी वैयक्तिक अध्ययन किया गया। दाड़मी बाई के जीवन इतिहास को देखने से स्पष्ट है कि जनजातीय क्षेत्र में संयुक्त परिवार होने के बावजूद भी वृद्धा को पशु तुल्य जीवन व्यतीत करने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है। जनजातीय परिवारों की कमजोर आर्थिक स्थिति, अंधविश्वासी प्रवृत्ति तथा चिकित्सा व चिकित्सक की सुविधा के अभाव के कारण दाड़मी बाई का उपचार समय पर नहीं कराया गया। जनजातीय क्षेत्र के लोगो ने वृद्धा की मानसिक असन्तुलन को एक मनोरोग न मानकर अंधविश्वास के चलते उसे डायन करार दे दिया जिसके कारण उसे स्वयं के पति व परिवार ने त्याग दिया तथा अपने पीहर में रहना पड़ा। लेकिन पीहर में भी वृद्धा को डायन समझकर उसे लोहे की बेड़ियों में बांध दिया गया। वृद्धा की समस्याओं की गंभीरता का पता उसके पैरों के खूले छालों व घावों से भी लगाया जा सकता है जिस पर मक्खियाँ मंडरा रही हैं। आवास के नाम पर छोटी सी कोठरी जिसमें हवा व रोशनी तथा स्वच्छता की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः उक्त वैयक्तिक अध्ययन से ऐसा लगता है कि मानवीय संवेदनाएं धीरे-धीरे शून्य होती जा रही हैं। ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्र में अशिक्षा, अंधविश्वास व कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण कुछ वृद्ध सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक व मानसिक समस्याओं से अधिक ग्रस्त हैं।

वैयक्तिक अध्ययन (Case Study-6)

(जनजातीय निम्न वर्ग)

केरींग लाल (75 वर्ष) विवाहित वृद्ध हैं। पत्नी व चार विवाहित पुत्र हैं। तीन पुत्र अलग रहते हैं तथा पिता रोडीलाल अपने सबसे छोटे पुत्र व पुत्रवधु के साथ रहता है। रोडीलाल के चार पुत्रों में से तीन पुत्र अलग रहते हैं तथा सबसे छोटे पुत्र व पुत्रवधु उसके साथ रहते हैं। परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण पुत्र व पुत्रवधु दोनों रोजगार की तलाश में उदयपुर नगर जाते हैं। रोडीलाल को पोता-पोती के देखरेख के साथ-साथ बकरी चराई का कार्य भी करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण चिकित्सक से उपचार नहीं करवा पाते हैं तथा भोपे व तांत्रिकों के उपर निर्भर रहना पड़ता है। रोडीलाल की स्वास्थ्य व शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं होने पर भी मजबूरन कार्य करना पड़ता है। जनजातीय

निम्न वर्ग से वैयक्तिक अध्ययन के रूप में रोडी लाल का चयन किया गया। रोडी लाल के चार पुत्रों का संयुक्त परिवार था। एकाकी परिवार का प्रचलन धीरे-धीरे जनजातीय क्षेत्र में भी बढ़ रहा है जिसका कारण चाहे परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति हो या संयुक्त परिवार का वर्तमान समय में अप्रासंगिक होना। वर्तमान में जीवन की बढ़ती लागत के कारण पुरुष तथा महिला दोनों को आय अर्जन करने के लिए नगर की ओर जाना पड़ता है ऐसे में वृद्धों का घर में अकेला रहना स्वभाविक भी है। परिवार के छोटे सदस्यों व बकरीपालन के कार्य भी वृद्धों को करने पड़ रहे हैं। घर में शौचालय की सुविधा नहीं होने के कारण जंगल में जाना पड़ता है जिससे शारीरिक समस्याओं में भी वृद्धि हो रही है।

विश्लेषण

नगरीय, ग्रामीण व जनजातीय तीनों क्षेत्रों से कुल 6 वृद्ध व्यक्तियों का वैयक्तिक अध्ययन के रूप में अध्ययन किया गया तथा जिसके विश्लेषण से स्पष्ट है कि वृद्ध अपनी परम्परागत शक्ति एवं सत्ता खोते जा रहे हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति का प्रभाव सदस्यों की अन्तःक्रिया पर पड़ रहा है। मध्यम वर्ग की मजबूत आर्थिक स्थिति के कारण वृद्धों को स्वास्थ्य सुरक्षा तो मिल रही है, लेकिन मानसिक समस्याओं के साथ-साथ उपेक्षा में कोई कमी नहीं आयी है। यह निम्न वर्ग के वृद्धों में अपेक्षाकृत अधिक मिलता है, अन्यथा पारिवारिक उपेक्षा व मानसिक प्रताड़ना तो सभी वर्गों में देखी जा सकती है। नगर, ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्र के कई वृद्ध एकाकीपन का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए मात्र आधुनिक पीढ़ी को दोषी ठहराना उचित नहीं है। समायोजन न करने की वृद्ध व्यक्तियों की आदत भी कुछ हद तक उनके एकाकीपन एवं बच्चों द्वारा उपेक्षा के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि आज के सामाजिक परिवेश में जीवन की लागत बढ़ गई है तथा पुत्र व पुत्रवधु दोनों द्वारा आय अर्जन करना आवश्यक है। वही बेहतर रोजगार व शिक्षा के कारण अन्य नगर व कस्बे में चले जाना स्वाभाविक भी माना जा रहा है। नगरीय, ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्र में रहने वाले वृद्ध उत्तरदाताओं व परिवार के सम्बन्धों में हो रहे परिवर्तनों तथा परिवार में वृद्धावस्था के बदलते हुए स्वरूप से उत्पन्न हुई नयी समस्याओं की साक्षात्कार अनुसूची तथा वैयक्तिक अध्ययनों के द्वारा सत्यापन होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Desai, I.P., "The Changing Pattern's of Family in India." Quoted by Davere, Sudhir Rajaram, Samajshastra: Concept and Development, Arjun Publication House, New Delhi, 2004, PP-157
2. Kapadia, K.M. Marriage and Family in India, Oxford University Bombay, 1993
3. Ross, Ailen D., The Hindu Family in Its Urban Setting., Tornto University press, Tornto, 1961
4. Davere, Sudhir Rajaram, Samajshastra: Concept and Development, Arjun Publication House, New Delhi, 2004, PP-157.
5. Edwin, Driver. "Family Structure and Socio-Economic Status in Central India", Sociological Bulletin, Vol.-11, Nos. -1&2, 1962, pp.112-120

6. Gould, H.A., "The True Dimensions of structural changes in an Indian kinship system," in Milton Singer & Bernard C. Cohen (Eds.) *Structure and Change in Indian Society*, Aldine, Chicago, 1968, pp.-413-21
7. O' Malley, L.S.S., *Modern India and the Western Country*, Oxford University Press, London, 1941
8. Merchant, K.T., *Changing Views on Marriage and the Family*, B.G. Paul and Co., Madras, 1935
9. Richard Livson, Folorin & Peterson, Pol.P., *Study of 87 old man, Indian General of social work*, Vol.-24, April-1963, pp.-58